एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और आई.एस. तिवाना, जे. के समक्ष

राम कुमार और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 1578।

10 जनवरी 1983.

पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) - नियम 13.1, 13.7 और 13.8 - एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अगले पद पर पदोन्नत करना - नियम 13.7 के संदर्भ में सूची बी 1 तैयार करना - चाहे वह प्रक्रिया का हिस्सा हो ऐसी पदोन्नति - तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान करने वाले सरकारी निर्देश - क्या नियम 13.7 के संदर्भ में निचले स्कूल पाठ्यक्रम के लिए कांस्टेबलों के चयन पर लागू होते हैं।

अभिनिर्णीत किया *कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) के नियम 13.7 और 13.8 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम 13.7 के संदर्भ में सूची बी 1 की तैयारी के चरण में, इसमें किसी कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति शामिल नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है, कि लोअर स्कूल कोर्स कांस्टेबलों के लिए एक पदोन्नति पाठ्यक्रम है, फिर भी नियम 13.8 का उप-नियम (2) बिना किसी अनिश्चित शर्तों के कहता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियम 13.1 के उप-नियम (1) और (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी। यह उप-नियम आगे यह प्रावधान करता है कि चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है अन्यथा उपयुक्त समझे जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, हालांकि केवल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक। इस प्रकार, उप-नियम का यह भाग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चयन ग्रेड कांस्टेबलों के मामले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की योग्यता को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। यदि किसी मामले में इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है तो यह पदोन्नति की किस प्रकार की प्रक्रिया है? नियम 13.1 यह स्पष्ट करता है कि एक रैंक से दूसरे रैंक और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता से छेड़छाड़ करके चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और विशिष्ट योग्यताएं चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति की हों या व्यावहारिक अनुभव की, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। इस नियम के उप-नियम (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से*

गुजरना केवल उन योग्यताओं में से एक है जो एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र बनाता है। सरकारी निर्देशों की शब्दावली से यह भी स्पष्ट है कि इनमें पद के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है, न कि पात्रता या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए। इस प्रकार, नियम 13.7 के संदर्भ में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में भेजे जाने के लिए चयन की प्रक्रिया को किसी भी कल्पना से संभवतः नियम 13.8 द्वारा परिकल्पित पदोन्नति के विचार के बराबर नहीं माना जा सकता है और सरकारी निर्देश उस स्तर पर लागू नहीं होंगे जब हरियाणा राज्य के पुलिस बल में कांस्टेबलों को लोअर स्कूल कोर्स के लिए चुना जाता है। (पैरा 4 और 5).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(i) उत्तरदाताओं को पदोन्नति सूची अनुबंध पी-2 के अनुसार निचले स्कूल पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;

(ii) अनुलग्नक पी-3 के अनुदेशों के मद्देनजर उत्तरदाताओं को पहले से ही अंतिम रूप दी गई पदोन्नति सूची को बदलने से रोका जाए;

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जैसा कि माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे, जारी किया जाएगा;

(iv) मामले का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया जाए;

(v) मामले की परिस्थितियों के तहत याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए;

आगे प्रार्थना की गई है कि मामले की परिस्थितियों के तहत, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत पूछताछ के अनुसार, उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने की शर्त को समाप्त कर दिया जाए। चूंकि पाठ्यक्रम 1 अप्रैल, 1982 से शुरू होने की संभावना है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का कोई समय नहीं बचा है।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को 1 अप्रैल, 1982 से शुरू होने वाले लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्त किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील, कुलदीप सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से हरभगवान सिंह, ए.जी., पी.एस. दुहान, डी.ए.जी., हरियाणा के साथ।

निर्णय

एस. तिवाना, जे.

(1) ये छठी रिट याचिकाएं (नंबर जे, 1578, 900, आई, 1414, 1451, 1464 4466 ऑफ 1982) या तो एक संदर्भ पर या मोशन बेंच के विशेष आदेश के कारण हमारे सामने हैं। इनमें जो सटीक प्रश्न निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या सरकारी निर्देश, - पत्र संख्या 24/17/80-3 जीएस III, दिनांक 16 दिसंबर, 1980 (अनुलग्नक पी. 1) द्वारा या पहले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान हरियाणा राज्य के पुलिस बल में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होता है। जब उन्हें हरियाणा में लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 (संक्षेप में, नियम) के नियम 13.7 के अनुसार लोअर स्कूल कोर्स के लिए चुना जाना है। सीता राम, कांस्टेबल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य,[1] सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[2] मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ के तीन फैसलों में की गई टिप्पणियों के बीच कथित विरोधाभास के कारण संदर्भ आवश्यक थे। (और टीका सिंह कांस्टेबल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [3]और सरदुल सिंह बनाम आई.जी.पी पंजाब और अन्य में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में, [4]। इन मामलों में दलीलें केवल 1982 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1578 में बताए गए तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई गई हैं और इस प्रकार इन्हें इस सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ता जो निर्विवाद रूप से उपरोक्त वर्गों से संबंधित हैं और कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं, 27 और 31 जनवरी 1982 को आयोजित लिखित परीक्षा, परेड और साक्षात्कार के परिणामस्वरूप इन निर्देशों के आधार पर 29 अन्य लोगों के साथ चुने गए थे। मधुबन में लोअर स्कूल कोर्स में भेजे जाने के नियमों के नियम 13.7 के अनुसार करनाल जिले के लिए सूची बी 1 में शामिल किया जा रहा है। इस सूची की एक प्रति अनुलग्नक पी.2 है और उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को क्रमांक 4, 8, 14 और 24 पर रखा गया है। इस सूची को प्रतिवादी संख्या 4, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, करनाल के 1 फरवरी 1982 के संदर्भ पर 23 फरवरी 1982 को प्रतिवादी संख्या 3 उप पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा, अंबाला रेंज द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। चूँकि केवल 28 सीटें थीं इस पाठ्यक्रम के लिए जिला करनाल को आवंटित किया गया था, अंतिम उल्लिखित पांच व्यक्तियों को आरक्षित माना जाना था। 5 मार्च, 1982 को राज्य सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण (अनुलग्नक पी. 3) जारी किया गया था कि पदोन्नति

[1] 1976 S.L.W.R. 652.
[2] 1978 S.L.W.R. 489.
[3] 1980 (3) S.L.R. 642
[4] 1970 S.L.R. 505

के मामलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले उपरोक्त निर्देश लागू नहीं होते हैं। नियमावली के नियम 13.7 के तहत पुलिस विभाग में तैयार की गई सूची ई.1. इस स्पष्टीकरण के अनुसार, यह आगे बताया गया कि यह आरक्षण नीति केवल उन कांस्टेबलों के लिए प्रभावी बनाई जा सकती है, जिन्हें लोअर के सफल समापन के बाद हेड कांस्टेबल के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से सूची 'सी' में लाया गया है। स्कूल पाठ्यक्रम. यह आशंका जताते हुए कि प्रतिवादी-अधिकारी अनुबंध पी. 3 के आलोक में चयन सूची पी. 2 को बदल देंगे, याचिकाकर्ताओं ने यह राहत पाने के लिए वर्तमान याचिका दायर की कि निर्देश पी. 3 को मूल या मूल निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण रद्द कर दिया जाए। राज्य सरकार की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में पदों का आरक्षण। यह चुनौती आगे के तर्क पर आधारित है कि नियम 13.7 के संदर्भ में सूची बी 1 की तैयारी एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अगले पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया का हिस्सा है और यदि इस स्तर पर आरक्षण को नजरअंदाज किया जाना है तो वस्तुतः कोई भी कांस्टेबल बाद के चरण में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वे आगे एक परमादेश चाहते हैं कि प्रतिवादी-अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सूची पी.2 के आधार पर लोअर स्कूल कोर्स में भेजने का निर्देश दिया जाए।

(3) विवाद को निपटाने के लिए, राज्य सरकार की सेवा के वर्ग III और IV में पदों के आरक्षण के लिए निर्देश पी.1 का प्रासंगिक भाग अनिवार्य रूप से ध्यान देने योग्य है और वह इस प्रकार है:

"(ए) अनुसूचित जाति के लिए	*वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 20 प्रतिशत (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पद पर)। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में कोई आरक्षण नहीं होगा*
(बी) पिछड़े वर्गों के लिए	*वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 10 प्रतिशत (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में)। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में कोई आरक्षण नहीं होगा।*
(डी) भूतपूर्व सैनिकों के लिए	*शून्य।"*

रोस्टर जो इन निर्देशों का एक हिस्सा है, उन पदों को भी निर्दिष्ट करता है जो एक विशेष कैडर में 100 पदों के ब्लॉक में उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के हिस्से में आते हैं। यह जानने के लिए

कि क्या सूची बी 1 तैयार होने के चरण में कोई पदोन्नति शामिल है, नियमों के नियम 13.7 की सामग्री पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। नियम इस प्रकार पढ़ता है:

13.7 सूची बी. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन

"(1) सूची 'बी', फॉर्म 13.7 में प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसमें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित सभी कांस्टेबलों के नाम शामिल होंगे (चयन प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में किया जाएगा और जिलों को आवंटित सीटों की संख्या तक सीमित होगा) वर्ष के लिए बीस प्रतिशत रिजर्व के साथ। परेड में परीक्षण के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में सूची में नाम दर्ज किये जायेंगे। सामान्य कानून (भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और स्थानीय और विशेष कानून) साक्षात्कार और अभिलेखों की जांच (2) सभी कांस्टेबल-

(ए) जो मिडिल पास हैं और चार साल से अधिक सेवा कर चुके हैं; या

(बी) जो कम से कम मैट्रिक पास हैं और तीन साल से अधिक सेवा कर चुके हैं; या

(सी) जो नियम 19.2 में निर्दिष्ट भर्ती पाठ्यक्रम में क्रेडिट के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं; वे उपर्युक्त सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे, यदि वे उस वर्ष, जिसमें चयन किया गया है, जुलाई के पहले दिन 30 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं:

बशर्ते कि कोई भी कांस्टेबल जिसे चयन किए जाने वाले वर्ष के जनवरी के पहले दिन से पहले तीन साल की अवधि के भीतर बड़ी सजा दी गई हो, इस सूची में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई कांस्टेबल जिसका नाम इस सूची में लाया गया है उस वर्ष पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में नहीं भेजा जाता है, तो उसे नए उम्मीदवार के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी, यदि वह अभी भी नियमों के तहत उक्त सूची में प्रवेश के लिए पात्र है। इस नियम के तुरंत बाद समान रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण नियम 13.8 आता है जिसमें ओएस इस प्रकार लिखा है:

13.8 सूची सी. 13.8 (1) में पदोन्नति प्रत्येक जिले में हेड कांस्टेबलों की एक सूची फॉर्म से कार्ड इंडेक्स में रखी जाएगी 13.8(1) सभी कांस्टेबलों के पास फिल्लौर में लोअर स्कूल कोर्स उत्तीर्ण किया और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने गए। सूची में शामिल प्रत्येक कांस्टेबल के लिए एक कार्ड तैयार किया जाएगा और इसमें उप-नियम 13.5(2) के तहत उसका अंकन होगा और उसकी योग्यता और चरित्र पर स्वयं अधीक्षक द्वारा नोट, या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके अधीन कांस्टेबल ने काम किया है। सूची को

अधीक्षक द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण में इसकी जांच और अनुमोदन किया जाएगा।

(2) हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति उपनियम 13.1(1) एवं (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जाएगी। सूची 'सी' में प्रवेश की तारीख महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन योग्यता की तुलना करते समय योग्यता के क्रम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। ऐसे मामलों में कि क्या अन्य योग्यताएं समान हैं, पुलिस बल में वरिष्ठता निर्णायक कारक होगी। चयन ग्रेड कांस्टेबल, जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से, अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किए जा सकते हैं।

(4) हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्देश पी.1 के आलोक में उपर्युक्त दो नियमों को पढ़ना याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त है कि सूची बी की तैयारी के चरण में .1 नियम 13.7 के संदर्भ में, एक कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति शामिल है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क संक्षेप में यह है कि नियम 13.7 का बहुत ही सीमांत नोट इंगित करता है कि कांस्टेबलों को उनके चयन और सूची बी 1 में रखे जाने के परिणामस्वरूप लोअर स्कूल पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है। पदोन्नत पाठ्यक्रम और यही वह चरण है जब हेड कांस्टेबल के अगले उच्च पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होती है। विद्वान वकील के अनुसार, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित सरकार की नीति या निर्देशों को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के क्षण से ही प्रभावी किया जाना चाहिए और इसके अभाव में उक्त निर्देशों को निरर्थक बनाए जाने की संभावना है। विद्वान वकील बताते हैं कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उपरोक्त निर्देशों के आधार पर इस प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक कांस्टेबलों की पदोन्नति सूची (सूची) में शामिल होने के लिए अपेक्षित संख्या में कांस्टेबल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। 'सी') नियम 13.8 के संदर्भ में। जैसा कि पहले ही बताया गया है, हालाँकि हमें विद्वान वकील की इन दलीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि लोअर स्कूल कोर्स कांस्टेबलों के लिए एक पदोन्नति पाठ्यक्रम है, फिर भी नियम 13.8 का उप-नियम (2) बिना किसी अनिश्चित शर्तों के कहता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति इसके अनुसार की जाएगी। नियम 13.1 के उप-नियम (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत। यह उप-नियम आगे यह प्रावधान करता है कि चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। रिक्तियों की सीमा केवल 10 प्रतिशत। इस प्रकार उप-नियम का यह भाग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चयन ग्रेड कांस्टेबलों के मामले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की योग्यता को पूरी तरह से माफ

किया जा सकता है। यदि किसी मामले में विद्वान वकील के तर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है तो यह पदोन्नति की किस प्रकार की प्रक्रिया है? नियम 13.1 जिसका संदर्भ इस उप-नियम में दिया गया है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि एक रैंक से दूसरे रैंक में और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता से छेड़छाड़ करके चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और विशिष्ट योग्यताएं चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति की हों या व्यावहारिक अनुभव की, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। इस नियम के उप-नियम (1) में आगे कहा गया है कि जब दो अधिकारियों की योग्यताएं समान होंगी, तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। इस उप-नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना केवल उन योग्यताओं में से एक है जो एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र बनाता है। निर्देश पी. 1 की पदावली से यह भी स्पष्ट है कि इनमें पद के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है, न कि पात्रता या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए। के अवलोकन से यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है सरदूल सिंह के मामले में पूर्ण पीठ (सुप्रा) इस संदर्भ में बनाई गई है कि क्या एक हेड कांस्टेबल को पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए चयन की प्रक्रिया हेड कांस्टेबल के इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के बाद शुरू होती है या एक कदम इससे पहले कि उसे उस पाठ्यक्रम के लिए कब भेजा जाना है। नियम 13.7 के निहितार्थों की जांच करते हुए खंडपीठ ने निम्नलिखित सार्थक टिप्पणियाँ कीं: - ,

"वे कांस्टेबल जो लोअर स्कूल कोर्स सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हैं और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते हैं, उन्हें नियम 13.8 के तहत सूची 'सी' में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूची 'सी' में भर्ती होने के लिए दूसरा चयन सूची 'बी' के एक कांस्टेबल के लोअर स्कूल कोर्स पास करने के बाद शुरू होता है। उसके बाद सूची 'सी' में उसका प्रवेश स्वचालित नहीं होगा, लेकिन इस पर विचार करना होगा कि क्या वह हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त है। उस उद्देश्य के लिए, उसे सूची में शामिल करते समय उप-नियम 13.5(2) में अंकन और पुलिस अधीक्षक या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट्स, जिनके अधीन कांस्टेबल ने काम किया है, उसकी योग्यता और चरित्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 'सी' और उन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए चयन करने के लिए नियम बनाने वाले अधिकारियों को ऐसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। नियम 13.9 में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों को भेजने के चरण में चयन का प्रावधान करने की चूक, जैसा कि नियम 13.7 में किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा चूक जानबूझकर की गई थी और एकमात्र निष्कर्ष था इस चूक से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी हेड कांस्टेबल को पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के अगले पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में जाने के अधिकार से वंचित

नहीं किया जाएगा। तब खंडपीठ ने उपरोक्त प्रश्न का समापन निम्नलिखित शब्दों में किया:

"हमारे विचार में, इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए चयन एक हेड कांस्टेबल को पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनता है, जो प्रक्रिया केवल उस चरण से शुरू होती है जब प्रवेश के लिए नामों पर विचार किया जाता है। नियम 13.9 के तहत सूची 'डी' में और उस चरण तक तभी पहुंचा जाता है जब एक हेड कांस्टेबल लोअर स्कूल कोर्स और इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स पास कर लेता है। इस प्रकार नियम 13.7 के संदर्भ में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में भेजे जाने के लिए चयन की प्रक्रिया को किसी भी कल्पना से संभव नहीं माना जा सकता है या नियम 13.8 द्वारा परिकल्पित पदोन्नति के विचार के बराबर माना जा सकता है। बारीकी से जांच करने पर हमें पूर्ण पीठ की इन टिप्पणियों और उपरोक्त एकल पीठ के फैसलों में की गई टिप्पणियों के बीच कोई विरोधाभास नहीं मिला।

(5) लीयर लर्नडएनकाउंसलरइटव्हीलेरोवरवाइज3€यह स्वीकार करते हुए कि सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के पक्ष में आरक्षण के मामलों में इसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों को संशोधित करने या रद्द करने में सक्षम है, यह तर्क देना चाहती है कि सबसे पहले निर्देश (पी.3) संभवतः नहीं हो सकते हैं कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है (सूची पी.2 पी.3 जारी होने से पहले तैयार की गई है) और दूसरी बात, नियुक्ति प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं को कोई सुनवाई दिए बिना सूची पी.2 में बदलाव नहीं कर सकते हैं। खारिज करने के लिए इन विवादों पर ध्यान देना होगा। जैसा कि पहले ही बताया गया है, पी. 3 केवल उन निर्देशों के स्पष्टीकरण के माध्यम से है जो पहले से ही लागू थे और अपने आप में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए गए पदों के आरक्षण की नीति में किसी भी आरक्षण या बदलाव का प्रावधान नहीं करता है। यह केवल स्थिति को विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि "आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति पुलिस विभाग में तैयार की जा रही सूची बी 1 पर लागू नहीं होती है।" इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि "पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह केवल उन कांस्टेबलों पर लागू होगा जो पहले से ही सूची 'सी' में हैं और पदोन्नति के लिए पात्र हैं। " हम इस प्रकार संतुष्ट हैं कि अनुबंध पी. 3 सरकार की आरक्षण नीति में कोई बदलाव या संशोधन नहीं लाता है और इसे केवल स्पष्टीकरण के रूप में जारी किया गया है। हमारे इस निष्कर्ष के सामने, स्पष्ट रूप से इन निर्देशों में पूर्वव्यापीता शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सूची पी. 2 निर्देश पी. 1 या उससे पहले के किसी निर्देश और उसकी गलत व्याख्या के आधार पर तैयार की गई थी। सुधार न तो किसी याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है और न ही प्रतिवादी-अधिकारी इस संबंध में किसी भी तरह से अक्षम हैं। हम रणजीत सिंह बनाम हरियाणा के राष्ट्रपति मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच की निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रकाश में भी पाते हैं (5), कि याचिकाकर्ता संभवतः सूची में परिवर्तन से पहले किसी भी पूर्व सुनवाई का दावा नहीं कर सकते, P. 2:

"यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, जब भी कानूनी प्राधिकार के प्रयोग के परिणामस्वरूप रैंक में कमी या वरिष्ठता, परिलब्धियों या इसी तरह की हानि होती है, तो प्रभाव सरकारी कर्मचारी को हमेशा प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत ऐसे किसी भी मामले से संबंधित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अधिकार मिलता है।

और फिर:

"जहां सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक गलत प्रशासनिक निर्णय था जिसने कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया था, वहां कानून का कोई नियम नहीं था जो सरकार को प्रशासनिक रूप से कार्य करते हुए, अपने द्वारा की गई गलती को सुधारने से रोकता था। प्रत्येक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपनी गलतियों को सुधारने का अंतर्निहित अधिकार है, जब तक कि कानून का कोई विशिष्ट प्रावधान न हो जो इस तरह के पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करता हो। किसी स्थानापन्न पद पर आसीन अधिकारी को यह सुनने या यह आग्रह करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि चूंकि उसने किसी विभागीय प्राधिकारी द्वारा लिए गए गलत निर्णय के तहत कुछ लाभ प्राप्त किया है, इसलिए उस निर्णय को सुधारा न जाए क्योंकि इससे उसे उस लाभ की हानि होगी। ।"

(6) उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, हमें इनमें से कोई भी याचिका नहीं मिली और इस प्रकार इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh